तकनीकी आंकड़े
TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग	:	1000 पैसे (2)
Denomination	:	1000 p (2)
मुद्रित डाक टिकटें	:	500000 प्रत्येक
Stamps Printed	:	500000 each
मुद्रित मिनियेचर शीट्स	:	110000
Miniature Sheets Printed	:	110000
मुद्रण प्रक्रिया	:	वेट ऑफसेट
Printing Process	:	Wet Offset
मुद्रक	:	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
Printer	:	Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at Philately Bureaus across India and online at http://www.epostoffice.gov.in/ PHILATELY_3D.html

मूल्य ₹ 5.00

भारतीय डाक
India Post

डाक विभाग
Department of Posts

भारत का संविधान
CONSTITUTION OF INDIA

10⁰⁰ भारत INDIA
भारत का संविधान CONSTITUTION OF INDIA
2020
सत्यमेव जयते

10⁰⁰ भारत INDIA
भारत का संविधान CONSTITUTION OF INDIA
2020
भारत का संविधान

विवरणिका BROCHURE

CONSTITUTION OF INDIA

Constitution Day also known as 'Samvidhan Divas', is celebrated in our country on 26th November every year to commemorate the adoption of the Constitution of India. On 26th November, 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India, which came into effect from 26th January, 1950. On 19th November, 2015, the Union Ministry of Social Justice and Empowerment notified the decision of Government of India to celebrate the 26th day of November every year as 'Constitution Day' to promote among citizens, the values enshrined in our Constitution.

26th November, 2019 marked the 70th anniversary of the adoption of the Constitution of India by the Constituent Assembly. Beginning 26th November, 2019, year-long nationwide activities on Constitution Day were launched with the objective of publicizing the glorious and rich composite culture and diversity of our nation and creating awareness of Fundamental Duties as enshrined in the Constitution of India. Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, urged all citizens to uphold the duties enshrined in the Constitution of India. As part of the year-long nationwide activities, Department of Posts would be bringing out Commemorative Postage stamps. The first such set on the theme "Constitution of India" will be released on 26th January, 2020.

The Constitution of India was drafted by a Constituent Assembly elected under the Cabinet Mission Plan of 1946. The Assembly held its first meeting on 9th December, 1946, and elected Dr. Sachhidanand Sinha, the oldest member of the Assembly, the temporary chairman. On 11th December, 1946, the Assembly elected Dr. Rajendra Prasad its permanent Chairman. 299 members (including 15 women) of the Assembly took less than three years (1946-1949) to draft the Constitution. Out of the 299 members, 284 members actually signed the Constitution. The Constituent Assembly set up 13 committees for framing the Constitution including a Drafting Committee under the Chairmanship of Dr. B. R. Ambedkar. On the basis of the reports of these committees, a draft of the Constitution was prepared by the seven-member Drafting Committee.

The Constitution of India was not typeset or printed but was handwritten and calligraphic in both English and Hindi. It was entirely handcrafted by the artists of Shantiniketan under the guidance of Acharya Nandalal Bose, a pioneer of modern Indian art who designed the border of every page of the Constitution. The pair of se-tenant stamps in the present issue feature the border from the Preamble of the Constitution. Shri Prem Behari Narain Raizada, a master of calligraphic art, handwrote the Constitution singlehandedly, a task that took him six months to complete. Each part of the Constitution begins with a depiction of a phase or scene from India's national history. The artwork and illustrations (22 in all), rendered largely in miniature style, represent vignettes from different periods of history of the Indian subcontinent, ranging from Mohenjodaro in the Indus Valley, the Vedic period, the Gupta and Maurya empires and the Mughal era to the national freedom movement. By doing so, Nandalal Bose has taken us through a veritable pictorial journey across 4000 years of rich history, tradition and culture of the Indian subcontinent. The original copies of the Constitution of India are kept in special helium-filled cases in the library of the Parliament of India.

The Constitution of India is the foundational law which lays the basic political structure of our country. It establishes a parliamentary democracy and a republic with a federal structure. The Constitution of India embodies the vision and values of our founding fathers. It represents their thinking – social, political and economic ethos, faith and will. It defines the main organs of the Republic of India – the Executive, the Legislature and the Judiciary – and defines their powers and demarcates their responsibilities. It is the longest written Constitution in the world containing 395 Articles, 22 Parts and 12 Schedules.

The people of India are the ultimate custodians of the Constitution. It is in them that sovereignty vests and it is in their name that the Constitution was adopted. The Constitution empowers the citizen, but the citizen too empowers the Constitution – by following it, by adhering to it, by protecting it and by persevering to make it more meaningful with words and deeds. The Constitution is nobody's preserve – and it is everybody's preserve.

Department of Posts is pleased to issue a pair of se-tenant Commemorative Postage Stamps on the Constitution of India.

Credits:

Stamps/ Miniature Sheet/
FDC/ Brochure/ : Ms. Gulistaan
Cancellation Cachet : Smt. Nenu Gupta
Text : Based on information received from the proponent

भारत का संविधान

हमारे देश में प्रतिवर्ष 26 नवंबर का दिन 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत ने अपने संविधान को अंगीकार किया। 26 जनवरी, 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया, जो 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ। संविधान में निहित मूल्यों के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर, 2015 को भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाये जाने के निर्णय को अधिसूचित किया।

26 नवंबर, 2019 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार करने की 70वीं वर्षगांठ थी। 26 नवंबर, 2019 से संविधान दिवस पर वर्ष भर चलने वाली गतिविधियों को हमारे देश की गौरवशाली और समृद्ध सम्मिश्रित संस्कृति और विविधता को प्रचारित करने और भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित मूल कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। भारत के माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित कर्तव्यों को बनाए रखने का आग्रह किया है। वर्ष भर चलने वाली गतिविधियों के रूप में, डाक विभाग द्वारा स्मारक डाक टिकट जारी किये जायेंगे। "भारत का संविधान" विषय पर पहला सेट 26 जनवरी, 2020 को जारी किया जाएगा।

संविधान सभा ने 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत का संविधान तैयार किया। संविधान सभा ने 9 दिसंबर, 1946 को अपनी पहली बैठक आयोजित की, जिसमें इस सभा के ज्येष्ठतम सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अनंतिम अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा ने डॉ राजेन्द्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं, ने तीन साल (1946–49) से भी कम अवधि के दौरान संविधान को मूर्त रूप प्रदान कर दिया। इन 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के उद्देश्य से 13 समितियों का गठन किया, जिसमें डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूपण समिति भी शामिल थी। इन समितियों की रिपोर्ट के आधार पर सात सदस्यीय प्रारूपण समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया।

भारत का संविधान टाइपसेट या मुद्रित न होकर अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों ही भाषाओं में, हस्तलिखित तथा हस्तलिपित से युक्त था। यह संविधान, आधुनिक भारतीय कला जगत के पुरोधा आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा हाथ से तैयार किया गया। आचार्य नंदलाल बोस ने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों की रूपरेखा तैयार की। मौजूदा निर्गम में जारी किए जाने वाले से–टेनेंट डाक–टिकटों के जोड़े में संविधान के प्रस्तावना पृष्ठ के किनारों का चित्रांकन है। श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हस्तलिपित में माहिर थे और उन्होंने 6 माह के परिश्रम से स्वयं अपने हाथ से पूरा संविधान लिखा। संविधान के प्रत्येक भाग का प्रारंभ भारत के राष्ट्रीय इतिहास के किसी चरण या दृश्य के चित्रांकन से होता है। ये कलाकृतियां (कुल 22) मुख्यतः मिनियेचर (लघु) शैली में बनाई गई हैं और इनमें भारतीय उप महाद्वीप के इतिहास के विभिन्न कालखंडों की झांकी प्रस्तुत की गई है। इसमें मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, वैदिक काल, गुप्त तथा मौर्य सम्राज्य एवं मुगल काल से लेकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दृश्यों का चित्रांकन किया गया है। इन कलाकृतियों के माध्यम से नंदलाल बोस हमें भारतीय उप महाद्वीप के 4000 वर्षों के समृद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति की चित्रों से सजी यात्रा कराते हैं। भारत के संविधान की मूल प्रतियां हीलियम से भरे विशेष खोलों में संरक्षित कर भारतीय संसद के पुस्तकालय में रखी गई हैं।

भारत का संविधान, विधि व्यवस्था की बुनियाद है, जिस पर देश का मूलभूत राजनैतिक ढांचा खड़ा है। संविधान ने संसदीय लोकतंत्र के साथ–साथ संघीय ढांचे वाले गणराज्य की स्थापना की व्यवस्था की है। भारत का संविधान, राष्ट्र निर्माताओं के दृष्टि–दर्शन तथा मूल्यों की प्रतिमूर्ति है। यह, उन महापुरुषों के दृष्टिकोण – सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक मूल भावना, आस्था तथा इच्छाशक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान में भारत गणराज्य के मुख्य अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्याय पालिका को परिभाषित करने के साथ–साथ इनकी शक्तियों और उत्तरदायित्व को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। भारत का संविधान, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 खंड और 12 अनुसूचियां हैं।

भारत के लोग संविधान के परम संरक्षक हैं। भारत के लोगों में ही संप्रभुता निहित है और भारत के लोगों के नाम पर ही इस संविधान को अंगीकार किया गया है। संविधान नागरिकों को सशक्त करता है परंतु हर नागरिक भी संविधान का अनुसरण करके, अनुपालन करके और इसे सुरक्षित रखकर तथा अपने वचनों और कर्मों से इसे और भी सार्थक बनाने की दिशा में अपने प्रयासों से संविधान को सशक्त करता है। संविधान को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति–विशेष की नहीं है बल्कि इसका संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

'भारत का संविधान' विषय पर दो से–टेनेंट स्मारक डाक–टिकटों का सेट जारी करना डाक विभाग के लिए प्रसन्नता का विषय है।

आभार :

डाक–टिकट / प्रथम दिवस आवरण / विवरणिका / : सुश्री गुलिस्तां

विरूपण कैशे : श्रीमती नीनू गुप्ता

पाठ : प्रस्तावक से प्राप्त सामग्री पर आधारित